प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 15.09.2026

थाना विजय नगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चले रहे 25000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2026 को थाना विजयनगर पुलिस द्वारा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चल रहे ईनामिया अभियुक्त अमन पुत्र वेदप्रकाश निवासी म0न0 119 गली न0 2 भीमनगर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद को लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर संतोष मेडिकल सर्विस रोड़ विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता –

अमन पुत्र वेदप्रकाश निवासी म0न0 119 गली न0 2 भीमनगर क्रोसिंग रिपब्लिक थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि सर मैं कुछ लोगों के चक्कर में आकर गलत संगत में पड़ गया था। मैं अपने साथी हैप्पी उर्फ अभिषेक के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्रों में चोरी , स्नैचिंग की घटना कारित करते थे और चोरी व स्नैचिंग के सामान को बेचकर जो पैसा मिलता था। उसे आपस में बाट लेते थे।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः –

अभियुक्त अमन उपरोक्त पर - 04 अभियोग चोरी व लूट से सम्बन्धित व 01 अभियोग गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 15.09.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. आदिल पुत्र सोनू हसन निवासी इकराम नगर थाना लोनी, गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष 2. अमन पुत्र इकबाल निवासी बादशाहपुर सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे

से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने यह मोटरसाइकिल निठौरा रोड थाना लोनी के पास से चोरी की थी। आज हम इसे बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.आदिल पुत्र सोनू हसन निवासी इकराम नगर थाना लोनी, गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष
2.अमन पुत्र इकबाल निवासी बादशाहपुर सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 15.09.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त सहाबुद्दीन पुत्र कलुवा निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 03 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे दिल्ली से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देता हूँ तथा इन पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सहाबुद्दीन पुत्र कलुवा निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 03 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी, पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी, चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.300 किलोग्राम अवैध गांजा व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 15.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त अमन उर्फ अरमान पुत्र बबलू को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 1.300 किलोग्राम अवैध गांजा व 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पूर्व में उपरोक्त बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना मुखर्जी नगर दिल्ली पर अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं व मेरा दोस्त खुर्रम यह अवैध गांजा चोरी-छिपे दिल्ली से लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देता हूँ। चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने और मेरे दोस्त खुर्रम ने 01 माह पहले मुखर्जी नगर दिल्ली से चोरी की थी तथा 01 माह पहले ही हमने 01 मोबाइल फोन ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में जा रहे व्यक्ति की जेब से चोरी किया था जिसे हमने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था। आज मैं गांजा बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अमन उर्फ अरमान पुत्र बबलू निवासी आजाद एनक्लेव कादरी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

खुर्रम निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से कुल 1.300 किलोग्राम अवैध गांजा व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना मुखर्जी नगर दिल्ली पर पंजीकृत है। पूर्व में भी थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में 06 अभियोग व मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना नन्दग्राम व 01 अभियोग थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत है। **(कुल अभियोग -11)** अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की सर्विलांस टीम व सभी थानों द्वारा विभिन्न कम्पनियों के कुल 555 मोबाइल (अनुमानित कीमत 1.55 करोड़ रुपये) बरामद कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये।

सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से विभिन्न कम्पनियों के कुल 555 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपये है, की बरामदगी की गई है।

सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण—

1. थाना कोतवाली नगर – 103
2. थाना विजयनगर – 91
3. थाना सिहानीगेट – 56
4. थाना नंदग्राम – 52
5. थाना कविनगर – 64

6. थाना मधुबन बापूधाम – 67
7. थाना वेवसिटी – 54
8. थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक – 55
9. थाना साइबर – 13

कुल योग – 555

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.09.2026 को थाना टीलामोड पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त इरफान निवासी श्रीराम कॉलोनी थाना टीलामोड गाजियाबाद द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करना व वादिया को पता चलनो पर इरफान द्वारा वादिया के साथ मारपीट कर गाली गलौज करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड पर तत्काल सुसंगत धारा 65(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 5(L)(N)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.09.2026 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इरफान पुत्र महबूब निवासी श्रीराम कॉलोनी फेस-2 बंथला थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र टीलामोड से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ईरफान पुत्र महबूब निवासी श्रीराम कॉलोनी फेस 2 बंथला थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.09.2026 को थाना टीलामोड पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त वसीम व तसलीम पुत्रगण पोद्दा, अनस व अन्य के द्वारा वादिया के पुत्र साहिल के साथ एक राय होकर मारपीट कर गले पर चाकू से वार करना जिससे वादिया के पुत्र का गम्भीररूप से घायल हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड पर सुसंगत धारा 191(2),115(2),118(1) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मेडिकल रिपोर्ट व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.09.2026 को थाना टीला मोड पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र इमामुद्दीन उर्फ पोद्दा निवासी चांद मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीलामोड़ जिला गाजियाबाद को अशोक वाटिका कट के सामने चौकी क्षेत्र सिकन्दरपुर थाना टीलामोड से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशादेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं दिनांक 08.09.2026 को सना मस्जिद के पास अपने भाई तसलीम व दोस्तों के साथ खडा था तभी साहिल पुत्र नसीम वहाँ से गुजरा हमारी आपस में पहले से कहासुनी हो गई थी जिसको लेकर मेरे द्वारा साहिल के ऊपर चाकू से वार किया जो साहिल के गले पर लग गया जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया था और भीड इकट्ठा होता देख हम वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहम्मद वसीम पुत्र इमामुद्दीन उर्फ पोद्दा निवासी चांद मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीलामोड़ जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना टीलामोड पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग का खुलासा।

श्री शीतल प्रसाद निवासी वसुन्धरा, इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ माननीय न्यायालय बहादुरगढ़ चंडीगढ़ में विचाराधीन उनके पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिये जजों को रिश्वत देने के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करके कुल 1,34,33,616/- रूपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। घटना में फ्रीज कराये गये रुपयों को NCRP पोर्टल की SOP के अनुसार रिफण्ड कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में हुए इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त ईशू पाण्डे उर्फ रिशू पाण्डे पुत्र स्व0 नारायण पाण्डे निवासी ग्राम चारी पोस्ट चिराईगांव थाना कंधवा जिला चन्दौली उत्तर प्रदेश को थाना क्षेत्र चौबेपुर, जनपद बनारस से गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-

अभियुक्त से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा श्री शीतल प्रसाद से फेसबुक के माध्यम से सम्पर्क कर उनसे मोबाइल पर चैट की गयी थी। अभियुक्तों ने खुद को पुजारी एवं सरकारी कार्यालयों में अच्छी पकड़ वाला व्यक्ति बताते हुए, व्हाट्सअप चैट पर श्री शीतल प्रसाद से वार्ता के दौरान उनके बेटे देवांशु के विरुद्ध उनकी पुत्रवधु द्वारा लिखाये गये मुकदमे में न्यायालय में सहायता करने का प्रलोभन दिया। अभियुक्तों द्वारा यह बताया गया कि उनका जजों से अच्छा सम्बन्ध है तथा वो लोग श्री शीतल प्रसाद के पुत्र के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में जजों की मदद से सहायता कर देंगे। अभियुक्तों ने श्री शीतल प्रसाद से न्यायालय में मदद के नाम पर जजों को रिश्वत देने के लिये जून 2025 से अप्रैल 2026 के मध्य करीब 1 करोड़ 50 लाख की धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। इस बीच अभियुक्तों ने श्री शीतल प्रसाद को उनके बेटे को तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर तथा बहादुरगढ़ न्यायालय चंडीगढ़ में चल रहे केस में जेल भिजवाने तथा पुलिस से गिरफ्तार कराने के नाम पर डराया धमकाया। अभियुक्त ईशू पाण्डे उर्फ रिशु पाण्डेय ने अपने तथा अपनी माँ के बैंक खाते के अतिरिक्त खुशबू मिर्जा, विजय, सोनी बेगम, शैली जैन के बैंक खातों में सीधे शीतल प्रसाद से पैसे लिये। इन लोगों ने बेटिंग एप TIKKO APP पर इस पैसे से क्वॉइन खरीद कर जुआ खेला। इस घटना को कारित करने में अभियुक्तों को खुशबू मिर्जा निवासी पटना बिहार ने काफी मदद की थी।

अभियुक्ता खुशबू मिर्जा निवासी पटना बिहार की तलाश की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>-

1. ईशू पाण्डे उर्फ रिशू पाण्डे पुत्र स्व0 नारायण पाण्डे निवासी ग्राम चारी पोस्ट चिराईगांव थाना कंधवा जिला चन्दौल उम्र करीब 32 वर्ष, शिक्षा – 10 वीं पास।

<u>बरामदगी का विवरण</u> – घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u> - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।